

‘चुनाव परिणाम आने के 4 8 घंटे के भीतर प्र.मंत्री का चयन कर लेगा इंडिया गठबंधन’

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि, इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन स्पष्ट एवं निर्णायक जनादेश हासिल करेगा

नई दिल्ली, 30 मई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि, इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन स्पष्ट एवं निर्णायक जनादेश हासिल करेगा और नतीजों के 48 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री का चयन कर लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के सातवें एवं अंतिम चरण के मतदान से पहले, प्रचार के आखिरी दिन साक्षात्कार में रमेश ने यह भी कहा कि विपक्षी गठबंधन में जिस पार्टी को सबसे अधिक सीट मिलेंगी, वही पार्टी अगली सरकार के नेतृत्व के लिए स्वाभाविक दावेदार होगी। उनका यह भी कहना था कि इंडिया जनबंधन के घटक दलों को जनादेश मिलने के बाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एन.डी.ए.) के कुछ घटक भी इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, हालांकि कांग्रेस आलाकमान को यह तय करना होगा कि उन्हें गठबंधन में शामिल किया जाए या नहीं। बता दें कि सातवें और आखिरी फेज की वोटिंग

7 2 दिनों में प्र.मंत्री मोदी ने 2 0 0 से ज्यादा रैलियां व 8 0 इंटरव्यू किये

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले से ही देश भर के लगभग सभी राज्यों के मैराथन दौरे कर रहे थे

नई दिल्ली, 30 मई। इस बार का लोकसभा चुनाव सात चरणों में संपन्न हो रहा है और चुनाव का नतीजा 4 जून को घोषित होगा। 16 मार्च को चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई थी। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले से ही देश भर के लगभग सभी राज्यों का मैराथन दौरा कर रहे थे। लेकिन, चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ देश के दक्षिण छोर से शुरू हुआ उनका प्रचार अभियान उत्तर में स्थित पंजाब के होशियारपुर में आकर समाप्त हुआ। जहां पीएम मोदी ने गुरुवार को एक चुनावी रैली को संबोधित किया।

इस चुनाव में पार्टी के पक्ष में पीएम

केजरीवाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
के मुख्यमंत्री को ई.डी. ने मनी लॉन्ड्रिंग स्कیم के मामले में भागीदार होने के आरोपों के चलते गिरफ्तार किया था, जो कि अब राज्य में रह शराब नीति से संबंधित है।

केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मंजूर की थी। कोर्ट ने 29 मई को उनकी अंतरिम जमानत अवधि को बढ़ाने वाली याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया था।

इस मामले पर सुविज्ञ अवस्थी, पार्टनर, पी.एस.एल. अधिवक्ता व सॉलिसिटर ने कहा कि "केजरीवाल के द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के लम्बित रहने के चलते उनके निष्पक्ष जमानत मांगने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 17 मई के आदेश में लिखा था। एक प्राकृतिक उपाय के रूप में, सबसे बेहतरीन तरीका अखिर केजरीवाल के लिए यह है कि वे शीघ्र निष्पक्ष जमानत के उपलब्ध सांविधिक उपायों का प्रयोग करते हुए आवेदन करें।"

धौलपुर के राजीविका...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
के बारे में भी जानकारी प्राप्त करंगी।
बैठक में अभय कुमार ने राजीविका के पंचसूत्रों – साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, आंतरिक उधार, ऋण का भुगतान और रिकॉर्ड मंटेनेंस के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि, राजीविका का प्रदेी की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने महिलाओं की आजीविका में वृद्धि के लिए पंचरत्न मिशन के माध्यम से राजीविका द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार तक पहुंचने पर जोर दिया। उन्होंने प्रदेश की महिलाओं को कृषि तकनीक में उन्नत और कृषि में अग्रसर बताया।

उन्होंने जानकारी और प्रदेश की वनस्पति में समानता के बारे में बताते हुए प्रतिनिधियों से कृषि और जल संरक्षण पर भी चर्चा की। उन्होंने राज्य में प्रचलित मोटे अनाज को अफ्रीकी देशों के वातावरण के अनुकूल बताते

- जयराम रमेश ने इस बात की ओर भी इशारा करते हुये कहा कि, जब इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा तो एन.डी.ए. के कई घटक दल भी हमारे साथ आ सकते हैं।**

एक जून को होनी है, जबकि चार जून को नतीजों का ऐलान होगा।

रमेश ने कहा कि, इंडिया गठबंधन स्थिर, पारदर्शी और जिम्मेदार सरकार देने को प्रतिबद्ध है। यह पृष्ठे जाने पर कि, क्या चुनाव के बाद जनता (यूनाइटेड) के अध्यक्ष नीतीश कुमार और तेलुगू देसम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू जैसे भाजपा के सहयोगियों के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले रहेंगे, कांग्रेस नेता ने कहा, नीतीश कुमार पलटी के उस्ताद हैं। चंद्रबाबू नायडू 2019 में कांग्रेस के साथ थे। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जब इंडिया जनबंधन के घटक दलों को जनादेश मिलेगा, तो इंडिया में राजग के कुछ घटक भी शामिल हो सकते हैं।

इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया, कांग्रेस आलाकमान खरगे, सोनिया और राहुल को फैसला करना होगा। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन और एनडीए (राजग) में सिर्फ दो शब्दों का फर्क है। इंडिया से दो आई निकाल देने पर एनडीए बचेगा। इन दो आई का मतलब ईसानियत और ईमानदारी है। जिन पार्टियों में ईसानियत और ईमानदारी है वो इंडिया गठबंधन में शामिल है। उन्होंने कहा कि लोगों से जनादेश मिलने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार अधिनायकवादी नहीं, बल्कि शासनावादी होगी। लोकसभा चुनाव के छह चरणों के मतदान के बाद जमीनी स्थिति से जुड़े सवाल पर रमेश ने कहा कि इस चुनाव

में भाजपा के पक्ष में कोई लहर नहीं, सिर्फ निवर्तमान प्रधानमंत्री का जहर रहा है।

उनके मुताबिक 20 साल बाद इतिहास फिर दोहराया जाएगा और विपक्षी गठबंधन को स्पष्ट एवं निर्णायक जनादेश मिलेगा। रमेश ने कहा, मैं संख्या के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमें निर्णायक बहुमत मिलेगा। 272 स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा है लेकिन यह निर्णायक नहीं है। जब मैं निर्णायक जनादेश कहता हूं, तो मेरा मतलब 272 सीट से काफी ऊपर की संख्या है।

रमेश ने दावा किया कि कांग्रेस राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना में अच्छी बढ़त हासिल करेगी और महाराष्ट्र में फायदे की स्थिति में होगी। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को फायदा होगा और भाजपा 2019 की अपनी 62 सीट से आगे नहीं जा पाएगी।

शशि थरूर का असिस्टेंट तस्करी करते गिरफ्तार

नई दिल्ली, 30 मई। केरल के तिरुवंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के असिस्टेंट को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। ऐसी जानकारी है कि मामला सोने की तस्करी से जुड़ा हुआ है। उन पर तय सीमा से ज्यादा सोना रखने का आरोप है। वह दुबई से लौट रहे थे। मामले में जांच शुरू कर दी गई है। वहीं, इस पूरे में थरूर ने कहा है कि पकड़ा गया व्यक्ति उनके स्टाफ का पूर्व सदस्य था।

सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने मामले में जानकारी देते हुए कहा कि शशि थरूर के सहायक शिव कुमार को दुबई से लौटते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। दिल्ली कस्टम ने बुधवार 29 मई को दिल्ली हवाई अड्डे पर सोना तस्करी मामले में थरूर के पीए शिव कुमार समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया। शिव कुमार के कब्जे से

- सांसद शशि थरूर के असिस्टेंट को दुबई से लौटते वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। यह मामला सोने की तस्करी से जुड़ा हुआ है। असिस्टेंट पर तय सीमा से ज्यादा सोना रखने का आरोप है।**

कुल 500 ग्राम सोना बरामद किया गया।

सूत्रों के मुताबिक, अधिकारियों ने शिव कुमार से बड़ी मात्रा में सोना जमा किया है और उनसे बरामद सोने से जुड़े दस्तावेज भी मांगे हैं। सोने की सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सीमा शुल्क विभाग ने शिव कुमार के पास से करीब 30 लाख कीमत का सोना बरामद किया है। कथित सोने की तस्करी के मामले में दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़े गए शिव कुमार के बारे में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है।

‘नये मकान मालिक से पुराने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
खरीदा था। परंतु जब उन्होंने बिजली विभाग से बिजली कनेक्शन का आवेदन किया तो बिजली विभाग ने उनसे 5.50 लाख रुपये का बकाया देने को कहा जो पुराने मकान मालिक या उसके किरायेदार के बकाया थे। मामले की छानबीन करने पर पता चला कि 2014 में बिजली विभाग ने उसी मकान के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले किरायेदार के पक्ष में एक व्यवसायिक बिजली कनेक्शन जारी किया था, परंतु दिसम्बर 2015 और जनवरी 2016 का बिजली का बिल उसके द्वारा नहीं भरा गया तो अगले माह उसका कनेक्शन हटा दिया गया। परंतु उसने एक चैक के साथ बिजली कनेक्शन और मीटर पुनः लगाने की गुहार की। जिसे विभाग ने उसी वर्ष जुलाई में पुनः लगा दिया। विभाग की ओर से पैरवी कर रहे वकील विपिन गुप्ता ने कहा कि कनेक्शन लगाने के बाद सितम्बर

2018 तक बिजली के बिल जारी नहीं किये जा सके और किरायेदार द्वारा भुगतान नहीं किये गये बिलों की राशि 4.50 लाख रुपये हो गई।

उन्होंने आगे बताया कि किरायेदार द्वारा दिया गया पुराना चैक भी बाउंस हो गया, जिससे कुल बकाया 5.07 लाख रुपये का हो गया। उन्होंने कहा कि इस बकाया बिल को मकान मालिक को भरने के लिये 9 दिसम्बर 2022 को दिया गया। और मकान मालिक ने 5 अप्रैल 2023 को भुगतान करने के लिये एक चैक दिया जो भी बाउंस हो गया। बिजली विभाग के वकील का कहना था कि नियमानुसार हर माह गिंगम को बिजली कनेक्शन के लिये बिल जारी करना होता है और नहीं दिये जाने पर प्रतिमाह 10 फीसदी ब्याज भी लगाया जाता है।

पर अदालत ने इस तथ्य पर हैरानी जताई कि बिजली विभाग ने मूल किरायेदार का बिजली कनेक्शन तो जारी कर दिया पर यह भी नहीं देखा कि

‘मुस्लिम समाज काशी और मथुरा की मस्जिदों पर से दावा छोड़ दे’

नई दिल्ली, 30 मई। भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि मुसलमानों को काशी के ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही इंदगाह पर दावा करना छोड़ देना चाहिए। इन जगहों को हिंदुओं के लिए छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से इस्लामोफोबिया खत्म हो जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे।

इंटरव्यू में सरमा ने कहा, यदि आप मथुरा में शाही इंदगाह बनाना जारी रखते हैं तो वहां जाने वाले हिंदू स्वाभाविक रूप से नाराज होंगे। उन्हें शाही इंदगाह को किसी अन्य स्थान पर ले जाना चाहिए। इसके बाद जब कोई हिंदू मथुरा आएगा तो वह मुस्लिम समुदाय के प्रति क्रुतज्ञता के साथ वापस अपने घर आएगा।

सरमा ने यह भी कहा कि मस्जिद को बलपूर्वक नहीं हटाया जा सकता है, बल्कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पारस्परिक से माध्यम से ही संभव यह हो सकता है। असम के सीएम ने कहा, अब मोदीजी काशी कांरिडोर का निर्माण कर रहे हैं। हर कोई वहां जाता है।

कश्मीर में पर्यटकों की बस खाई में गिरी, 2 1 लोगों की मौत

सभी यात्री हाथरस (यू.पी.) के थे, दुर्घटना में 60 से अधिक लोग घायल भी हुये हैं

अखनूर, 30 मई। उत्तर प्रदेश के हाथरस से यात्रियों को लेकर आ रही एक बस जम्मू के अखनूर के टांडा क्षेत्र में सड़क से उतरकर गहरी खाई में गिर गई, जिससे 21 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना जिले के कालीधार इलाके में हुई। बस करीब 150 फीट नीचे खाई में पड़कर गई थी। जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट ने एक्स पर बताया,

”उत्तर प्रदेश के हाथरस से यात्रियों को लेकर जा रही एक बस जम्मू के अखनूर के टांडा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बचाव अभियान जारी है।”
वहाने तीर्थयात्रियों को शिव खोरी क्षेत्र ले जा रहा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, ”जम्मू के पास अखनूर में हुई बस दुर्घटना में लोगों की मौत का समाचार मिला। इस क्षित को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने

भाजपा के शुभेन्दु अधिकारी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आपराधिक आरोप लगा कर, केस दर्ज कर लिया गया है। भाजपा के झरग्राम चुनाव क्षेत्र के प्रत्याशी के खिलाफ, राज्य पुलिस ने गैर जमानती आरोप लगा दिए हैं।

विडम्बना है कि, आदिवासी प्रत्याशी प्रणत टुडू पर बदमाशों ने हमला बोला था और पथरवज के दौरान सिर पर पथ्थर लगने से वे जख्मी हो गए।

उनके निजी सुरक्षा गार्डस, जो कि केन्द्रीय बल के सदस्य हैं, के ऊपर भी हमला हुआ था और उनमें से एक के सिर पर चोट लगने से खून बहने लगा था।

प्रणत टुडू, जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं, के ऊपर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए हैं, जब टेलीविजन पर उनको अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ अपने चुनाव क्षेत्र से जान बचाकर भागते हुए देखा

विधि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति रह करने के आदेश पर पुनर्विचार से इन्कार

हाई कोर्ट ने लॉ युनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त किए गए डॉ. देव स्वरूप की पुनर्विचार याचिका खारिज की

जयपुर, 30 मई (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर (वी.सी.) के तौर पर डॉ. देवस्वरूप की नियुक्ति रह करने के संबंध में दिए आदेश पर पुनर्विचार करने से इन्कार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में दायर पुनर्विचार याचिका को निस्तारित कर दिया है।

चीफ जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की पीठ ने यह आदेश देवस्वरूप की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि, उन्होंने याचिका दायर होने के बाद अपना इस्तीफा दिया था। इसके अलावा अदालत ने याचिका में यह बिंदु तय किया था कि, कानून की पृष्ठभूमि नहीं रखने वाले को विधि विश्वविद्यालय (वि.वि.) का कुलपति नियुक्त नहीं

- हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस विनोद भारवानी की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि, डॉ. भीमराव अंबेडकर लॉ युनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. देवस्वरूप ने याचिका दायर होने के बाद इस्तीफा दिया था।**

किया जा सकता। ऐसे में आदेश पर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि, न्यायालय ने उस आदेश में उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता पर कोई टिप्पणी नहीं की है और अदालत की टिप्पणी उन्हें किसी अन्य विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त करने के आड़े नहीं आएगी।

रिज्यू याचिका में कहा गया कि, अदालत के आदेश देने से पूर्व ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में अदालत को उनकी नियुक्ति रह करने का आदेश देने की जरूरत ही नहीं थी।

गौरतलब है कि, खंडपीठ ने प्रोफेसर के.बी. अग्रवाल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए देवस्वरूप की विधि विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर की गई नियुक्ति को रह कर दिया था। अदालत ने कहा था कि, विधि विश्वविद्यालय के कुलपति को विधि शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला होना चाहिए। यह एकल विषय का विश्वविद्यालय है, ऐसे में अन्य एकल विषय के वि.वि. की तरह विधि वि.वि. के कुलपति को कानून शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला होना चाहिए।

‘लू और तापघात ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
विभाग, ए.सी.एस. सार्वजनिक निर्माण विभाग, ए.सी.एस. जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ए.सी.एस. वन विभाग, ए.सी.एस. बागवानी, ए.सी. एस. वायु प्रदूषण व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जयपुर के अध्यक्ष से जवाब देने के लिए कहा है।

अदालत ने कहा कि लू और शीतलहर से मौत के बचाव को लेकर 18 दिसंबर, 2015 को राज्यसभा में बिल पेश किया गया था। जिसमें लू और शीतलहर के संबंध में कई प्रावधान किए गए थे, लेकिन नौ साल बीतने के बाद भी अब तक यह विधेयक संसद से पारित होकर कानून नहीं बन सका है। अदालत ने कहा कि यह देखने में आया है कि कई एक्शन प्लान बनने के बाद भी उन्हें प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि ऐसे प्रावधानों को कानूनी अमली जामा पहनाया जा सके। अदालत ने कहा कि गत वर्ष दिल्ली आपदा प्रबंधन ने हीट वेव एक्शन प्लान बनाया था। जिसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को भी ऐसा ही हीट वेव एक्शन प्लान बनाना चाहिए। वहीं आमजन की आवाजाही वाली सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाए। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नलों पर छाया मुहैया कराई जाए। अदालत ने कहा कि आमजन, दैनिक वेतन भोगी, रिश्ता व टेला चालकों को जरूरी होने पर ओ.आर.एस. के पैकेट दिए जाए, ताकि उन्हें हीट वेव स्ट्रोक से बचाया जा सके। राज्य सरकार सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर लू लगने से बीमार लोगों के इलाज के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराए। लोगों को बीषण गर्मी के बारे में विभिन्न माध्यमों के जरिए सचेत किया जाए।

अदालत ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं से इस मामले में अपने विचार और विधिक जानकारी साझा करने के लिये कहा है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं में आर.एन. माथुर, ए.के. शर्मा, कमलाकर शर्मा, आर.के. अग्रवाल, ए.के. भंडारी, एस.के. गुप्ता, अशोक मेहरा, आर.पी. सिंह व विवेक बाजवा शामिल हैं। अदालत में बार काउंसिल राजस्थान के अध्यक्ष रामप्रसाद सिंगरारिया व बार एसोसियेशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा को भी अदालत का सहयोग करने को कहा है। अदालत ने महाविक्ता राजेन्द्र प्रसाद, अतिरिक्त महाविक्ता भरत व्यास और एडीशनल सोलिसिटर जनरल आर.डी. रत्नेश्वरी को भी मामले में सहयोग के लिये कहा है।

बेंगलुरु जी.पी.ओ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
अफवाह है कि कांग्रेस की चुनाव गारंटी अनुसार योग्य वर्गों की महिलाओं को प्रति माह 8500 रू. मिलेंगे।

जी.पी.ओ. पर महिलाओं की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि खुले में काउन्टर लगाने पड़े। जी.पी.ओ. के अधिकारियों ने कहा कि, अफवाह थी कि उनके खाते में पैसा आया। इसलिए महिलाओं की भीड़ खाता खुलवाने के लिए उमड़ पड़ी है। महिलाओं को बताया गया कि, यह सिर्फ अफवाह है। जो शायद स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फैलाई है। उसके बाद भी महिलाएं इस गंभीरता से ले रही हैं। इसका कारण है कि, कान्टक की महिलाओं का अनुभव जो राज्य की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर रही है। कांग्रेस सरकार द्वारा मुफ्त यात्रा व अन्य मुफ्त सुविधाएं पाने के बाद महिलाओं को यकीन है कि कुछ ही महीनों में उन्हें सरकार से 8500 रू. मिलने लगेंगे। गौरतलब है कि, इस चुनाव में कान्टक में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले। कांग्रेस इसे शक्ति योजना की सफलता बता रही है और कह रही है कि महिलाओं ने इस प्रकार कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद दिया